संख्या: 53/2022/001-1395153/12-2099/117/2021

प्रेषक,

ऋषिरेन्द्र कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 04 जुलाई, 2022

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 की अनुदान संख्या-011 के लेखाशीर्ष ''2402-मृदा तथा जल संरक्षण-101-मृदा संरक्षण तथा परीक्षण-05-जैव उर्वरक उत्पादन प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण/जैव उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम'' में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: शो.एवं मृ.सर्वे./54/जैव कल्चर/वित्तीय स्वीकृति/2022-23, दिनॉक 05 मई, 2022 तथा पत्र संख्या: शो.एवं मृ.सर्वे./86/जैव कल्चर/वित्तीय स्वीकृति/2022-23, दिनॉक 03 जून, 2022 के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 की अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्ष 2402-मृदा तथा जल संरक्षण-101-मृदा संरक्षण तथा परीक्षण-05-जैव उर्वरक उत्पादन प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण/जैव उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम के विभिन्न मानक मदों में प्राविधानित धनराशि रू. 406.00 लाख के सापेक्ष रू. 135.33 लाख (रूपए एक करोड़ पैंतीस लाख तैंतीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित विवरणानुसार/शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं:-

मानक मद	**प्राविधानित धनराशि**	**स्वीकृत धनराशि (लाख रूपए में)**
02-मजदूरी	31.00	10.33
27-सब्सिडी	138.00	46.00
29-अनुरक्षण	10.00	3.33
42-अन्य व्यय	8.00	2.67
43-सामग्री सम्पूर्ति	200.00	66.67
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	15.00	5.00
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	4.00	1.33
योग:	406.00	135.33

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

नियम व शर्तें/प्रतिबन्ध

(1) स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय योजना की निर्धारित दिशा-निर्देशों/गाइडलाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार ही किया जाएगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जाएगा।

(4) स्वीकृत धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।

(5) स्वीकृत धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जाएगा। धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जाएगी।

(6) उक्त वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध आय-व्यय प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश का उत्तरदायित्व होगा।

(7) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य के लिए पूर्व में राज्य सरकार या किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है, और, न ही कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अथवा, किसी प्रकार की द्विरावृत्ति हो रही है।

(8) सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार की जाएगी। जहॉ तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाए।

(9) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(10) स्वीकृत धनराशि के आहरण/व्यय में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या : 13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 में दिए गए दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **लेखाशीर्ष:** 2402001010500 (जैव उर्वरक उत्पादन प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण / जैव उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**स्वीकृत धनराशि**
1	011	2402001010500 जैव उर्वरक उत्पादन प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण/जैव उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम	02 मजदूरी	10,33,000 (रुपये दस लाख तैंतीस हजार मात्र)
2	011	2402001010500	27	46,00,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		जैव उर्वरक उत्पादन प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण/जैव उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम	सब्सिडी	(रुपये छियालीस लाख मात्र)
3	011	2402001010500 जैव उर्वरक उत्पादन प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण/जैव उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम	29 अनुरक्षण	3,33,000 (रुपये तीन लाख तैंतीस हजार मात्र)
4	011	2402001010500 जैव उर्वरक उत्पादन प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण/जैव उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम	42 अन्य व्यय	2,67,000 (रुपये दो लाख सड़सठ हजार मात्र)
5	011	2402001010500 जैव उर्वरक उत्पादन प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण/जैव उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	66,67,000 (रुपये छियासठ लाख सड़सठ हजार मात्र)
6	011	2402001010500 जैव उर्वरक उत्पादन प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण/जैव उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	5,00,000 (रुपये पांच लाख मात्र)
7	011	2402001010500 जैव उर्वरक उत्पादन प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण / जैव उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	1,33,000 (रुपये एक लाख तैंतीस हजार मात्र)
	कुल			**1,35,33,000 (रुपये एक करोड़ पैंतीस लाख तैंतीस हजार मात्र)**

महायोग	1,35,33,000 (रुपये एक करोड़ पैंतीस लाख तैंतीस हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(ऋषिरेन्द्र कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या: 53/2022/001-1395153(1)/12-2099/117/2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
3. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, लखनऊ,
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ,
5. वित्त (व्यंय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन,
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ऋषिरेन्द्र कुमार)
विशेष सचिव।

http://sh

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।